

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक : 2/शमन-07/2015 परि 2033 / पटना, दिनांक 29/4/16

जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-73, दिनांक 20.01.2016 द्वारा अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोहतास (सासाराम) जिलान्तर्गत निम्नलिखित 4-पुलिस पदाधिकारियों एवं 27-थानाध्यक्षों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179, 180, 181, 182,, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

क्र. सं.	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), डिहरी	डिहरी थाना क्षेत्र
2	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी	डिहरी थाना क्षेत्र
3	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम	सासाराम थाना क्षेत्र
4	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज	विक्रमगंज थाना क्षेत्र
5	पुलिस निरीक्षक, डिहरी अंचल	डिहरी अंचल थाना क्षेत्र
6	पुलिस निरीक्षक, तिलौथू (कैम्प अमझोर)	तिलौथू थाना क्षेत्र
7	पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, रोहतास	रोहतास थाना क्षेत्र
8	पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, डिहरी नगर	डिहरी नगर थाना क्षेत्र
9	पुलिस निरीक्षक, शिवसागर, एन0एच0 2	शिवसागर एन0एच02 थाना क्षेत्र
10	पुलिस निरीक्षक, सासाराम नगर	सासाराम नगर थाना क्षेत्र
11	पुलिस निरीक्षक, सासाराम मुफसिल एन0एच02	सासाराम मुफसिल एन0एच02 थाना क्षेत्र
12	पुलिस निरीक्षक, नोखा राज्य पथ	नोखा राज्य पथ थाना क्षेत्र
13	पुलिस निरीक्षक, नासरीगंज राज्य पथ	नासरीगंज राज्य पथ थाना क्षेत्र
14	पुलिस निरीक्षक, विक्रमगंज राज्य पथ	विक्रमगंज राज्य पथ थाना क्षेत्र
15	पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, विक्रमगंज	विक्रमगंज थाना क्षेत्र
16	थानाध्यक्ष, चेनारी एन0एच0 2	चेनारी एन0एच0 2 थाना क्षेत्र
17	थानाध्यक्ष, शिवसागर एन0एच0 2	शिवसागर एन0एच0 2 थाना क्षेत्र
18	थानाध्यक्ष, सासाराम मुफसिल एन0एच0 2	सासाराम मुफसिल एन0एच0 2 थाना क्षेत्र
19	थानाध्यक्ष, दरिगांव एन0एच0 2	दरिगांव एन0एच0 2 थाना क्षेत्र
20	थानाध्यक्ष, कोचस एन0एच0 30	कोचस एन0एच0 30 थाना क्षेत्र
21	थानाध्यक्ष, परसथुआ एन0एच0 30	परसथुआ एन0एच0 30 थाना क्षेत्र
22	थानाध्यक्ष, दिनारा एन0एच0 30	दिनारा एन0एच0 30 थाना क्षेत्र
23	थानाध्यक्ष, दावथ एन0एच0 30	दावथ एन0एच0 30 थाना क्षेत्र
24	थानाध्यक्ष, संझौली राज्य पथ	संझौली राज्य पथ थाना क्षेत्र
25	थानाध्यक्ष, अगरेर राज्य पथ	अगरेर राज्य पथ थाना क्षेत्र
26	थानाध्यक्ष, डालमियानगर ओ0पी0 राज्य पथ	डालमियानगर ओ0पी0 राज्य पथ थाना क्षेत्र
27	थानाध्यक्ष, दरिहट राज्य पथ	दरिहट राज्य पथ थाना क्षेत्र
28	थानाध्यक्ष, अकोढीगोला राज्य पथ	अकोढीगोला राज्य पथ थाना क्षेत्र
29	थानाध्यक्ष, करगहर राज्य पथ	करगहर राज्य पथ थाना क्षेत्र
30	थानाध्यक्ष, राजपुर राज्य पथ	राजपुर राज्य पथ थाना क्षेत्र
31	थानाध्यक्ष, काराकाट राज्य पथ	काराकाट राज्य पथ थाना क्षेत्र

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही उपर्युक्त पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामलों के समीक्षापरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से ।

संयुक्त सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2/शमन-16/2015 परि. 2033/

पटना, दिनांक 29/11/16

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार/प्रमण्डलीय आयुक्त, /जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/पुलिस अधीक्षक, रोहतास (सासाराम)/शक्ति प्रदत् सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।